संख्या:15 /2015/ 853/ सत्रह - म- 2015, ।।-।(12)/2007

प्रेषक,

क्षेत्रपाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक जून 2015

विषय राज्य पोषित जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -202/नि0शा0/2015- 16 दिनांक 12- 05- 2015के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि वर्ष 2015-16 में राज्य पोषित जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजनान्तर्गत आय-व्ययक में रू0 20000 हजार का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि में से राज्य पोषित जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजना के लिए वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015/ बी0-1-925/दस-2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के प्रस्तर - 5 (च) में दिये गये निर्देशों के क्रम में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 10000 हजार (रू0 एक करोड मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के अनुसार 42 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है-

(1) उपरोक्त स्वीकृति धनराशि को पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तो तथा निर्धारित गाइड लाइन्स के अधीन व्यय किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को किसी भी दशा में अग्रिम आहरितकर किसी बैंक / पी0एल0ए0 में जमा नही की जायेगी । उक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया जायेगा, जिसकी वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का कोषागार से आहरण् विद्यमान व्यवस्थानुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा ।

(3) उपरोक्त धनराशि का आहरण करने से पूर्व जहॉ पर उ0प्र0 बजट मैनूअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो तो व्यय करने से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(4) उपरोक्त धनराशि से संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के जल प्लावित क्षेत्रों का सुधार कर मत्स्य पालन की दृष्टिकोण से विकसित किया जायेगा । यह परियोजना छोटे जलप्लावित जल क्षेत्रों में क्रियान्वित की जायेगी । डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास में चयनित ग्रामों में उपलब्ध जलप्लावित क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर सूधार किया जायेगा । सूधारोपरान्त यह तालाब शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप चयनित लाभार्थियों को आवंटित कर मत्स्य पालन का कार्य कराया जायेगा । सूधार का काय्र नाबार्ड योजना द्वारा निर्धारित मानकों अथवा कार्यदायी संस्था की आगणन के अनुसार कराया जायेगा। जहॉ पर आवश्यकता हो वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय। किसी भी प्रकार अनियमितता आवंछनीय होगी।

(2) उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या - 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन -आयोजनागत, 101- अर्न्तदेशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0406- जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण, 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत में जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या /2015/853 (1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या 15/2015/853/सत्रह-म-2015,।।-1 (12)/2007 दिनांक जून 2015 का संलग्नक

वर्ष 2015- 16 के अन्तर्गत जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजना हेतु 42 जनपदों की वित्तीय स्वीकृति ।

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0सं0	जनपद	आच्छादित किये जाने वाले जलक्षेत (हे0में)	50 प्रतिशत धनराशि
1	अलीगढ	2.00	100
2	फिरोजाबाद	2.00	100
3	मैनपुरी	2.00	100
4	आजमगढ	10.00	500
5	मऊ	6.00	300
6	बलिया	10.00	500
7	इलाहाबाद	2.00	100
8	कौशाम्बी	2.00	100
9	प्रतापगढ	2.00	100
10	इटावा	5.00	250
11	कन्नौज	3.00	150
12	गोरखपुर	5.00	250
13	महराजगंज	6.00	300
14	कुशीनगर	5.00	250
15	बॉदा	2.00	100
16	झांसी	2.00	100
17	जालौन	2.00	100
18	ललितपुर	2.00	100
19	गोण्डा	9.00	450
20	बलरामपुर	7.00	350
21	बहराईच	10.00	500
22	श्रावस्ती	7.00	350
23	फैजाबाद	3.00	150
24	अमेठी	2.00	100
25	बरेली	5.00	250
26	बदायूं	8.00	400

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	शाहजहांपुर	7.00	350
28	पीलीभीत	7.00	350
29	संतकबीरनगर	2.00	100
30	मुरादाबाद	2.00	100
31	अमरोहा	2.00	100
32	रामपुर	2.00	100
33	बिजनौर	2.00	100
34	सम्भल	2.00	100
35	उन्नाव	6.00	300
36	रायबरेली	10.00	500
37	सीतापुर	6.00	300
38	हरदोई	10.00	500
39	लखीमपुर	10.00	500
40	गाजीपुर	5.00	250
41	जौनपुर	5.00	250
42	सिद्वार्थनगर	1.00	50
	योग		10000

(कुल रू0 एक करोड मात्र)

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।